कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 26-07-2024

विषय- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ की गई बैठक।

- **स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में नहीं होगी शराब/पान/गुटखा सिगरेट की ब्रिक्री।**
- **स्कूलों के आसपास एण्टी-रोमियो स्क्वॉड रहेगी सक्रिय।**
- **स्कूल के समय पर यातायात सुव्यवस्थित किये जाने हेतु होगी यातायात पुलिसकर्मी की तैनाती।**
- **यातायात नियमों के क्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों/बालिकाओं के वाहन चलाने पर होगी कार्यवाही।**
- **स्कूल परिसर में अस्त्र/शस्त्र ले जाने की नहीं है अनुमति, स्कूल की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी विधिक कार्यवाही।**

आज दिनांक 26.07.2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कैम्प कार्यालय में बैठक की गई। बैठक के दौरान स्कूलों में सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न सुरक्षा उपायों जैसे कि स्कूल परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और साइबर सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रों और स्टाफ को आनलाइन खतरों से सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी विचार किया गया। उक्त बैठक में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ0 दीपक मधोक, अध्यक्ष श्री राहुल सिंह, सचिव श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री पंकज राजगड़िया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।